न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौडगढ़ (राज.)

प्रकरण संख्या– 103/2019 निर्णय दिनांक –07.06.2019

दलीचन्द पिता रामदेव जी जाति बैरवा आयु वयस्क निवासी निम्बाहेडा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 ।

– प्रार्थी

//बनाम//

1. श्रीमति शर्मिला पत्नि ओमप्रकाश रायपुरीया आयु वयस्क निवासी झाडोल जिल उदयपुर हा0मु0 निम्बाहेडा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 ।
2. रमेश पिता मांगीलाल जाति बैरवा आयु वयस्क निवासी निम्बाहेडा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 ।
3. शम्भुलाल पिता नंदलाल जाति जटीया आयु वयस्क निवासी पीपलीया कलां तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 ।
4. कन्हैयालाल पिता हीरालाल जाति नायक आयु वयस्क निवासी निम्बाहेडा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ ।
5. भेरूलाल पिता रामजी जाति रेगर आयु वयस्क निवासी रानीखेड़ा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ।

– विपक्षीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थना पत्र तहत धारा 128 रा0 ले0रे0एक्ट

आदेश

पत्रावली प्रस्तुत हुई।प्रार्थी ने अपने खातेदारी की आराजीयात वाके मौजा मण्डा गुल फरोशान पटवार हल्का रानीखेड़ा तह0 निम्बाहेडा की खाता संख्या 1 की आराजी नं0 1460/46 रकबा 0.1000 हैक्टेयर, मौजा मण्डा गुलफरोशान की खाता संख्या 148 की आराजी नं. 47 रकबा 0.2800 हेक्टेयर तथा खाता संख्या 147 की आराजी नं. 52, 62 व 63 कुल किता 3 कुल रकबा 1.3300 हेक्टेयर तथा खाता संख्या 146 की आराजी नं. 45 रकबा 0.1300 हेक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का निवेदन किया है। विपक्षी प्रार्थी की भूमि के पडोसी हैं। प्रार्थी राजस्व रेकार्ड में प्रश्नगत भूमि का खातेदार काश्तकार है जिसे अपनी खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराने का कानूनन अधिकार प्राप्त है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेडा को 1000/– रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि उभय पक्ष को सूचना देते हुए, मौके पर कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में, किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर प्रार्थी की खातेदारी कि वाके मौजा मण्डा गुल फरोशान पटवार हल्का रानीखेरा तह0 निम्बाहेडा की खाता संख्या 1 की आराजी नं0 1460/46 रकबा 0.1000 हैक्टेयर, मौजा मण्डा गुलफरोशान की खाता संख्या 148 की आराजी नं. 47 रकबा 0.2800 हेक्टेयर तथा खाता संख्या 147 की आराजी नं. 52, 62 व 63 कुल किता 3 कुल रकबा 1.3300 हेक्टेयर तथा खाता संख्या 146 की आराजी नं. 45 रकबा 0.1300 हेक्टेयर भूमि की किसी भी पक्ष के कब्जे में दखल दिये बगैर पत्थरगढ़ी करे। पत्थरगढ़ी किये जाने की पालना 15 दिवस में पेश करें।

आज दिनांक 07.06.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Sharma
Date: 2020.02.20 16:49:40 IST
Reason: SelfAttested